रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936
No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रॉनिक प्राधिकरण तकनीकी और प्रक्रिया नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में स्तंभ सं. (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	विवरण	प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)
"1.	आधार के ई-के वाई सी (अपने ग्राहक को जाने) सेवाओं का उपयोग करते हुए ई-प्राधिकरण तकनीक	ई-प्राधिकरण तकनीक द्वारा किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्राधिकरण, जो निम्नलिखित द्वारा होगा,-- (क) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र जारी करने को ई-प्राधिकरण, द्रुतान्वेषण और असमति गूढ़ प्रणाली तकनीक का उपयोग लागू होगा । (ख) ग्राहक कुंजी युग्म उत्पादन, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल (एच एस एम) पर कुंजी युग्मित का भंडारण और अंकीय चिह्नांक का सृजन किसी विश्वसनीय तृतीय पक्षकार सेवा द्वारा उपलब्ध होगी और प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय तृतीय पक्षकार प्रस्तावित होगा । विश्वसनीय तृतीय पक्षकार आवेदन प्ररुप और ग्राहक को अंकीय

		चिह्नांक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने का अनुरोध भेजेगा । (ग) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र ई-प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 की अनुसूची 4 के प्ररुप ग में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों, आधार ई- ई-के वाई सी (अपने ग्राहक को जाने) सेवाओं और अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र आवेदक की इलैक्ट्रॉनिक सहमति के आधार पर होगा । (घ) ई-प्राधिकरण के लिए रीति और अपेक्षाएं समय-समय पर नियंत्रक द्वारा जारी होंगी । (ङ) ग्राहक कुंजी युग्मित सृजन के लिए सुरक्षा प्रक्रिया नियंत्रक द्वारा ई-प्राधिकरण मार्गनिर्देश के अनुसरण में होंगी । (च) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 के नियम 6 में निर्दिष्ट मानक, जहां तक उनका संबंध अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र आवेदक की जन कुंजी के सत्यापन कृत्य से संबंधित है, का अनुपालन करेगा । (छ) वह रीति, जिसमें सूचना अंकीय चिह्नांक के माध्यम से अधिप्रमाणित की जाएगी, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन, जहां तक उनका संबंध अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र के सृजन, भंडारण और पारेषण से है, का अनुपालन करेगी ।"

[सं. सीसीए/डीसी(टी)/2014–99]

आर. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Electronic Signature or Electronic Authentication Technique and Procedure Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), in the Second Schedule, under column numbers (1), (2) and (3), the following entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Description	Procedure
(1)	(2)	(3)
"1.	e-authentication technique using Aadhaar e-KYC services	Authentication of an electronic record by e-authentication Technique which shall be done by- (a) the applicable use of e-authentication, hash, and asymmetric crypto system techniques, leading to issuance of Digital Signature Certificate by Certifying Authority (b) a trusted third party service by subscriber's key pair-generation, storing of key pairs on hardware security module and creation of digital signature provided that the trusted third party shall be offered by the certifying authority. The trusted third party shall send application form and certificate

		signing request to the Certifying Authority for issuing a Digital Signature Certificate to the subscriber. (c) Issuance of Digital Signature Certificate by Certifying Authority shall be based on e-authentication, particulars specified in Form C of Schedule IV of the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, digitally signed verified information from Aadhaar e-KYC services and electronic consent of Digital Signature Certificate applicant. (d) The manner and requirements for e-authentication shall be as issued by the Controller from time to time. (e) The security procedure for creating the subscriber's key pair shall be in accordance with the e-authentication guidelines issued by the Controller. (f) The standards referred to in rule 6 of the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000 shall be complied with, in so far as they relate to the certification function of public key of Digital Signature Certificate applicant. (g) The manner in which information is authenticated by means of digital signature shall comply with the standards specified in rule 6 of the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000 in so far as they relate to the creation, storage and transmission of Digital Signature Certificate."

[No. CCA/DC(T)/2014-99]

R. K. GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 की अनुसूची 4 के प्ररुप 'ख' के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित होगा, अर्थात् :-

[प्ररुप ग]

फोटो*

अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र आवेदक के आधार आधारित पहचान सत्यापन के माध्यम से अंकीय चिह्नांक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन प्ररुप

आवेदित प्रमाणपत्र का कार्य व्यक्तिगत

आधार सं.* : ....

नाम* : ....

ई-मेल पता : ....

आवासीय पता* : ....

....

....

विधिमान्य मोबाइल फोन नं. : ....

तारीख ....

आधार ई-अपने ग्राहक को जाने सेवा संदर्भ सं. द्वारा सत्यापित : (प्रत्युत्तर कूट)*

टिप्पण 1.- यह एक इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्ररुप है, जो स्वतः आवेदक के आधार ई-अपने ग्राहक को जाने सेवा आधारित इलैक्ट्रॉनिकी अधिप्रमाणन द्वारा सृजित किया गया है ।

टिप्पण 2.- * आज्ञापक स्थानों को उपदर्शित करता है ।

[सं. सीसीए/डीसी(टी)/2014-99]

आर. के. गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called Information Technology (Certifying Authorities) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, in Schedule IV, after Form 'B', the following 'Form' shall be inserted, namely :—

[FORM C]

PHOTO*

APPLICATION FORM FOR ISSUE OF DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE THROUGH AADHAAR BASED IDENTITY VERIFICATION OF DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE APPLICANT

Class of certificate applied: Individual

Aadhaar No. * : ....

Name * : ....

E-mail address : ....

Residential Address* : ....

……………………………………………...

……………………………………………......

Valid Mobile Phone Number: ………………………………..................

Date ....

Authenticated by Aadhaar e-KYC services ref No. (response code)*

Note 1.— This is an electronic application form automatically generated through Aadhaar e-KYC based electronic authentication of applicant.

Note 2.— * Denotes mandatory fields.

[No.CCA/ DC (T)/2014-99]

R. K. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.